



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042026-272108
CG-DL-E-27042026-272108

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]
No. 116]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/वैशाख 7, 1948
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरुआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2026

(मामला सं. सीवीडी (एसएसआर) 02/2025)

सेतु आईडी सीवीडी/एसएसआर/07112025/01

विषय: मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "9 मिमी से 13 मिमी तक के व्यास वाले कॉइल के रूप में एल्युमीनियम वायर या कॉइल के रूप में वायर रॉड" के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/25/2025-डीजीटीआर.— हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (जिन्हें यहाँ आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ("अधिनियम") और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 ("सीवीडी नियमावली") के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी ("प्राधिकारी") के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें मलेशिया ("संबद्ध देश") के मूल के या वहां से निर्यातित "9 मिमी से 13 मिमी तक के व्यास वाले कॉइल के रूप में एल्युमीनियम वायर या

काँइल के रूप में वायर रॉड" ("संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी") पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

- अधिनियम की धारा 9(6) के अनुसार, लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को यदि पहले निरस्त न कर दिया गया हो, तो उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे, और प्राधिकारी को यह समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या उक्त शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसी के अनुरूप, घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी को यह समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है, और क्या शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पृष्ठभूमि

- प्राधिकारी द्वारा मूल प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में अधिसूचना संख्या 6/3/2020-डीजीटीआर दिनांक 30 जून, 2020 के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/3/2020-डीजीटीआर दिनांक 28 जून, 2021 के माध्यम से अपने अंतिम जॉच परिणाम जारी किए थे, जिसमें मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।
- केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 4/2021-सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 24 सितंबर, 2021 के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा यथा अनुशंसित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू किया था। ये शुल्क 23 सितंबर, 2026 तक प्रभावी हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

- वर्तमान निर्णायक समीक्षा के लिए विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में था:

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "9 मिमी से 13 मिमी के व्यास वाले काँइल के रूप में एल्युमीनियम वायर/काँइल के रूप में वायर रॉड" है। विचाराधीन उत्पाद में मिश्रित और गैर-मिश्रित दोनों एल्युमीनियम वायर शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य कच्ची सामग्री एल्युमिना है। विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन एल्युमिना के प्रगलन से प्राप्त प्राथमिक एल्युमीनियम हॉट मेटल की कास्टिंग द्वारा किया जाता है। एल्युमीनियम वायर का उत्पादन स्क्रेप को पिघलाकर भी किया जा सकता है। स्क्रेप के माध्यम से उत्पादित एल्युमीनियम वायर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

यह उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 76 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष 76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 और 76052100 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एल्युमीनियम वायर, संबद्ध देश से आयातित एल्युमीनियम वायर के समान वस्तु है।

- वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया था।
- पीयूसी अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 76 के अंतर्गत एचएस कोड 76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 और 76052100 के तहत वर्गीकृत है। एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि उत्पाद अन्य टैरिफ शीर्षों के तहत भी आयात किया जा सकता है।

8. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में किसी भी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) को नहीं अपनाया है। इसके अलावा, आवेदकों ने किसी भी पीसीएन को अपनाने का प्रस्ताव नहीं दिया है। तथापि, हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे और पीसीएन पर अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग. समान वस्तु

9. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान घरेलू वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते रहे हैं और कर रहे हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह आवेदन हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों का दावा है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। आवेदकों ने भारत में कुल घरेलू उत्पादन के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें इस स्तर पर उचित माना गया है।
11. आवेदन में उपलब्ध जानकारी के आधार पर और आवश्यक जांच के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में आवेदकों का "एक प्रमुख हिस्सा" बनता है, और यह आवेदन "घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से" दायर किया गया है। तदनुसार, आवेदक सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग" के रूप में पात्र हैं, और यह आवेदन सीवीडी नियमावली के नियम 24(3) और नियम 6(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ङ. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश मलेशिया है।

च. जांच की अवधि

13. आवेदकों ने अपने आवेदन में प्रस्ताव किया था कि प्राधिकारी जुलाई 2024 से जून 2025 तक की जांच अवधि (पीओआई) को अपनाएं। इसके पश्चात, आवेदकों ने अतिरिक्त आंकड़े प्रस्तुत किए और प्रस्ताव किया कि प्राधिकारी जुलाई 2024 से दिसंबर 2025 की अवधि को जांच अवधि के रूप में अपनाएं।
14. वर्तमान निर्णायक समीक्षा के लिए जांच अवधि जुलाई 2024 से दिसंबर 2025 (18 महीने) की है, और क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 और जांच अवधि शामिल होगी। 18 महीनों की जांच अवधि उचित है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि सब्सिडीकरण, क्षति और सब्सिडीकरण एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना का लंबी और अधिक प्रतिनिधि अवधि में अधिक व्यापक रूप से विश्लेषण किया जा सके।

छ. सब्सिडी कार्यक्रम

15. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक/निर्यातकों को मलेशिया सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर, उन प्रांतों और जिलों सहित जहां उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, प्रदान की जाने वाली प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी से लाभ मिल रहा है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि कुछ अतिरिक्त कार्यक्रम या योजनाएं भी हैं जिन पर वर्तमान जांच में विचार किया जाना चाहिए। आवेदकों ने निम्नलिखित सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं:

I. वे योजनाएं जिन पर मूल जांच में पहले प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया था:

- कार्यक्रम सं. 1: बाजार विकास अनुदान
 कार्यक्रम सं. 2: व्यापार/उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार
 कार्यक्रम सं. 3: निर्यात ऋण वापसी भुगतान
 कार्यक्रम सं. 4: क्रेता ऋण गारंटी
 कार्यक्रम सं. 5: पायनियर स्टेटस
 कार्यक्रम सं. 6: निवेश कर नीतियाँ/भत्ते
 कार्यक्रम सं. 7: पुनर्निवेश भत्ता
 कार्यक्रम सं. 8: त्वरित पूंजी भत्ता
 कार्यक्रम सं. 9: समूह राहत
 कार्यक्रम सं. 10: टैरिफ संबंधित प्रोत्साहन
 कार्यक्रम सं. 11: औद्योगिक भवन के लिए भत्ता/औद्योगिक भवन भत्ता
 कार्यक्रम सं. 12: संयंत्र और मशीनरी के लिए भत्ता
 कार्यक्रम सं. 13: निर्यात प्रोत्साहन के लिए दोहरी कटौती
 कार्यक्रम सं. 14: ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में विनिर्माण और विनिर्माण संबंधित सेवाओं के लिए प्रोत्साहन
 कार्यक्रम सं. 15: आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्रॉबैक
 कार्यक्रम सं. 16: विनिर्माण गतिविधियों के आउटसोर्सिंग के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
 कार्यक्रम सं. 17: मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
 कार्यक्रम सं. 18: कच्चे माल/घटकों पर आयात शुल्क से छूट
 कार्यक्रम सं. 19: निर्यात प्रोत्साहन के लिए दोहरी कटौती
 कार्यक्रम सं. 20: निर्यात कार्गो के प्रोत्साहन के लिए दोहरी कटौती
 कार्यक्रम सं. 21: बड़े हुए निर्यात के लिए भत्ता
 कार्यक्रम सं. 22: मुक्त व्यापार ज़ोन में निर्यातकों के लिए कर छूट
 कार्यक्रम सं. 23: भूमि और बिजली के लिए पर्याप्त से कम मूल्य

II. नए सब्सिडी कार्यक्रम

- कार्यक्रम सं. 24: अनुसंधान एवं विकास के व्यावसायीकरण के लिए कोष (सीआरडीएफ-1/2/3)
 कार्यक्रम सं. 25: इनोफंड (एंटरप्राइज इनोवेशन फंड एंड कम्युनिटी इनोवेशन निधि)
 कार्यक्रम सं. 26: क्रेडल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (सीआईपी स्पार्क/स्पिंट)
 कार्यक्रम सं. 27: घरेलू निवेश रणनीतिक कोष (डीआईएसएफ)
 कार्यक्रम सं. 28: एनसीईआर टैलेंट एन्हांसमेंट प्रोग्राम (एनटीईपी)
 कार्यक्रम सं. 29: व्यापार एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (बीएपी 3.0)
 कार्यक्रम सं. 30: बुमिपुत्रा एंटरप्राइज एन्हांसमेंट प्रोग्राम (बीईईपी)
 कार्यक्रम सं. 31: एसएमई एक्सपोर्ट एन्हांसमेंट प्रोग्राम (जीईबी एंड एसएमईजीजी)
 कार्यक्रम सं. 32: घरेलू निवेश एक्सेलेरेटर निधि (ईएसजी अपनाने के लिए डीआईएएफ)
 कार्यक्रम सं. 33: विदेशी निवेश एक्सेलेरेटर निधि (एफआईए)
 कार्यक्रम सं. 34: स्मार्ट ऑटोमेशन अनुदान (एसएजी) मदानी

- कार्यक्रम सं. 35: उद्योग 4वार्ड इंटरवेंशन निधि
 कार्यक्रम सं. 36: मलेशिया को-इन्वेस्टमेंट निधि (माईसिफ)
 कार्यक्रम सं. 37: डिजिटल वित्तपोषण इनिशिएटिव (पीएमकेएस डिजिटल वित्तपोषण)
 कार्यक्रम सं. 38: एसएमई पुनरुद्धार वित्तपोषण (एसएमईआरएफ)
 कार्यक्रम सं. 39: लो कार्बन ट्रांज़िशन सुविधा (एलसीटीएफ)
 कार्यक्रम सं. 40: एसएमई ऑटोमेशन एवं डिजिटलीकरण सुविधा (एडीएफ)
 कार्यक्रम सं. 41: सभी आर्थिक क्षेत्रों के लिए सुविधा (आईएस)
 कार्यक्रम सं. 42: व्यापार रिकैपिटलाइजेशन सुविधा (बीआरएफ)
 कार्यक्रम सं. 43: फ्यूचर रेडी वित्तपोषण
 कार्यक्रम सं. 44: ऑटोमेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए सॉफ्ट वित्तपोषण स्कीम (एसएफएसएएम)
 कार्यक्रम सं. 45: एसएमई ट्रांसफॉर्मेशन वित्तपोषण (एसएमईटीएफ)
 कार्यक्रम सं. 46: सेवा क्षमता विकास के लिए सॉफ्ट वित्तपोषण (एसएफएससीडी)
 कार्यक्रम सं. 47: डिजिटल एवं टेक्नोलॉजी के लिए सॉफ्ट वित्तपोषण स्कीम (एसएफडीटी)
 कार्यक्रम सं. 48: सतत ग्रीन बिज़ वित्तपोषण (एसजीबीएफ)
 कार्यक्रम सं. 49: सेकंड चांस वित्तपोषण (2सीएफ)
 कार्यक्रम सं. 50: मदानी विकास स्कीम
 कार्यक्रम सं. 51: उद्योग डिजिटलीकरण ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम (आईडीटीएस)
 कार्यक्रम सं. 52: सतत विकास वित्तपोषण स्कीम (एसडीएफएस)
 कार्यक्रम सं. 53: हार्ड टेक एवं ग्रीन सुविधा (एचटीजी)
 कार्यक्रम सं. 54: डिजास्टर रिलीफ सुविधा (डीआरएफ)
 कार्यक्रम सं. 55: लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए प्रोत्साहन
 कार्यक्रम सं. 56: इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास के लिए कर प्रोत्साहन
 कार्यक्रम सं. 57: अनुसंधान एवं विकास के लिए दोहरी कटौती
 कार्यक्रम सं. 58: कच्चे/पैकेजिंग सामग्री पर बिक्री कर से छूट
 कार्यक्रम सं. 59: लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण गोदाम (एलएमडब्लू)
 कार्यक्रम सं. 60: मलेशियाई ब्रांड के प्रोत्साहन के लिए दोहरी कटौती
 कार्यक्रम सं. 61: ऑटोमेशन कैपिटल अलाउंस (ऑटोमेशन सीए)
 कार्यक्रम सं. 62: इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट सेंटर (अब प्रिसिपल हब स्कीम)
 कार्यक्रम सं. 63: ग्रीन इन्वेस्टमेंट टैक्स अलाउंस (जीआईटीए) – परिसंपत्तियाँ
 कार्यक्रम सं. 64: ग्रीन इन्वेस्टमेंट टैक्स अलाउंस (जीआईटीए) – व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए परियोजना

16. निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य सब्सिडियों की भी जांच कर सकते हैं, जिनकी मौजूदगी का पता जांच की प्रक्रिया के दौरान चलता है और जिनका लाभ संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उठाया गया हो।

ज. क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना और कारणात्मक संबंध

17. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि सब्सिडीरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में सब्सिडी के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके लिए उन्होंने मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई बढी हुई सब्सिडी, भारतीय बाजार के आकर्षण, मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों के निर्यात उन्मुखीकरण और वैश्विक परिस्थितियों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा

एल्युमीनियम उत्पादों पर धारा 232 के तहत शुल्कों में वृद्धि तथा सब्सिडीरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग के निष्पादन पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव को आधार बनाया है।

झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर, और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात, जो प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में सब्सिडी और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की पुष्टि करते हैं, प्राधिकारी एतद्वारा अधिनियम की धारा 9(6) के साथ पठित सीवीडी नियमावली के नियम 24 के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने के लिए कि क्या मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों की ओर से सभी पत्राचार और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी - सीवीडी/एसएसआर/07112025/01 के अधीन सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में और आकड़ों की फाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में खोजे जाने योग्य हों।
20. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और ढग में समस्त संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र और ढग से दायर की जानी चाहिए।
21. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र और ढग में जांच से संबंधित अपनी अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय अंश अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
23. हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) को नियमित रूप से देखते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं के बारे में सूचित रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

24. हितबद्ध पक्षकारों की ओर से कोई भी पत्राचार और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी - सीवीडी/एसएसआर/07112025/01 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, गोपनीय संस्करण और अगोपनीय संस्करण, सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार नोटिस जारी होने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्धारित कॉलम में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी होती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और सीवीडी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित रूचि (हित के स्वरूप सहित) सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रश्नावली के अपने उत्तर प्रस्तुत करें।
26. विचाराधीन उत्पाद के दायरे/पीसीएन पद्धति पर टिप्पणी प्रस्तुत करने की 15 दिनों की अवधि इस जाँच शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
27. पीयूसी/पीसीएन के संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद के नोटिस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करते हैं, जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जाँच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होता है जहाँ जांच की शुरुआत होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 15 दिनों के समय-विस्तार (यदि दिया गया हो) से आगे समय विस्तार के अनुरोधों पर सामान्यतः ऐसी असाधारण परिस्थितियों के अलावा विचार नहीं किया जाएगा, जो सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप हों।
28. समय बढ़ाने के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनमें संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
31. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
32. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहाँ सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है। ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।
34. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
35. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

36. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखी कर सकते हैं।
37. गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

ड. असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2026

(Case No. CVD (SSR) 02/2025)

SETU ID CVD/SSR/07112025/01

Subject: Initiation of Sunset Review investigation of Countervailing Duties on *Aluminium Wire in coil form or wire rod in coil form having diameter ranging from 9 mm to 13 mm* originating in or exported from Malaysia.

F. No. 7/25/2025-DGTR.—Hindalco Industries Limited, Vedanta Limited and Bharat Aluminium Company Limited (hereinafter referred to as “applicants” or “domestic industry”), has filed an application before the Designated Authority (“Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (“Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duties on Subsidized Articles and Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (“CVD Rules”) seeking initiation of sunset review investigation of countervailing duties on “*aluminium wire in coil form or wire rod in coil form having diameter ranging from 9 mm to 13 mm*” (“subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from Malaysia (“subject country”).

2. In terms of Section 9(6) of the Act, the countervailing duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether there is a need for the continued imposition

of the countervailing duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry.

A. Background

3. The original countervailing duty investigation concerning imports of the subject goods from Malaysia was initiated by the Authority vide Notification No. 6/3/2020-DGTR dated June 30, 2020. The Authority issued its final findings vide Notification No. 6/3/2020-DGTR dated June 28, 2021, recommending the imposition of the countervailing duties on imports of the subject goods from Malaysia for a period of five years.
4. The Central Government, vide Notification No. 4/2021-Customs (CVD) dated September 24, 2021, imposed the countervailing duties as recommended by the Authority for a period of five years. The duties are in force until September 23, 2026.

B. Product under consideration

5. The product under consideration for the present sunset review is the same as in the original investigation:

The product under consideration in the present investigation is —Aluminium Wire in coil form/Wire Rod in coil form having diameter ranging from 9 mm to 13 mm. The product under consideration includes both alloyed and non-alloyed aluminium wire. The major raw material used for manufacturing the product under consideration is alumina. The product under consideration is produced and obtained by casting primary aluminium hot metal obtained from smelting of alumina. Aluminium wire can also be produced by melting of scrap. Aluminium wire produced through scrap is beyond the scope of the product under consideration.

The product is classified under the Chapter 76 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs tariff heading 76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 and 76052100. The customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope. Aluminium Wire produced by the domestic industry is a like article to the Aluminium Wire imported from the subject country

6. The present investigation, being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.
7. The PUC is classified in Chapter 76 of Schedule I to the Act, under HS Codes 76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 and 76052100. The HS Codes are only indicative and not binding, as the product may be imported under different tariff headings.
8. The Authority did not adopt any Product Control Numbers (“PCNs”) in the present investigation. Further, the applicants have not proposed the adoption of any PCNs. However, interested parties may file comments on the scope of the PUC and PCNs, if any, within 15 days from the date of this notification.

C. Like Article

9. The applicants claim that there are no known differences between the subject goods exported from the subject country and the like domestic article produced by the domestic industry. Both goods are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, distribution and marketing, and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Consumers have used and are using the two interchangeably. The goods produced by the applicant are “like articles” to the subject goods that are imported from the subject country. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the applicant in India are being treated as ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject country.

D. Domestic Industry and Standing

10. The application has been filed by Hindalco Industries Limited, Vedanta Limited and Bharat Aluminium Company

Limited. The applicants claim that they have not imported the subject goods from the subject country. The applicants have submitted data regarding the total domestic production in India, and the same is considered appropriate at this stage.

11. On the basis of information present in the application and after due examination, the Authority notes that the applicants account for “a major proportion” of the total domestic production of the like article in India, and the application has been filed “by or on behalf of the domestic industry”. Accordingly, the applicants qualify as the “domestic industry” in terms of Rule 2(b), the application satisfies the requirements of Rule 24(3) and Rule 6(3) of the CVD Rules.

E. Subject Country

12. The subject country for the present investigation is Malaysia.

F. Period of Investigation

13. In its application, the applicants had proposed that the Authority adopt the period of investigation (“POI”) of July 2024 to June 2025. Thereafter, the applicants filed additional data and proposed that the Authority adopt the period July 2024 to December 2025 as the POI.
14. The POI for the present sunset review is July 2024 to December 2025 (18 months), and the injury investigation period will cover the periods from April 2022 to March 2023, April 2023 to March 2024, April 2024 to March 2025, and the POI. The POI of 18 months is appropriate since this would ensure that the subsidization, injury and the likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury can be more comprehensively analysed over a longer and more representative period.

G. Subsidy Programs

15. The applicants have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country continue to be benefitted from countervailable subsidies provided at various levels by the Government of Malaysia, including the provinces and districts in which producers/exporters are located. The applicants have also claimed that there are additional programs or schemes that should be considered in the present investigation. The applicants have provided *prima facie* evidence regarding the following subsidy programs:

I. Schemes previously countervailed in the original investigation

- Program No. 1: The Market Development Grant
Program No. 2: Business/Industry Excellence Award
Program No. 3: Export Credit Refinancing
Program No. 4: Buyer Credit Guarantee
Program No. 5: Pioneer Status
Program No. 6: Investment tax Policies/ Allowances
Program No. 7: Reinvestment Allowance
Program No. 8: Accelerated Capital Allowance
Program No. 9: Group Relief
Program No. 10: Tariff Related Incentives
Program No. 11: Allowance for Industrial Building/Industrial Building Allowance (IBA)
Program No. 12: Allowance of Plant and Machinery
Program No. 13: Double deduction for promotion of exports
Program No. 14: Incentives for manufacturing and manufacturing related services in East Coast Economic Corridor.
Program No. 15: Drawback on import duty, Sales tax and excise duty
Program No. 16: Exemption from import duty and sales tax for outsourcing manufacturing activities
Program No. 17: Exemption from import duty and sales tax on machinery and equipment
Program No. 18: Exemption from import duty on raw materials/components
Program No. 19: Double deduction for promotion of exports
Program No. 20: Double deduction for promotion of export cargo
Program No. 21: Allowance for increased export.
Program No. 22: Tax exemptions for exporters in Free Trade zones

Program No. 23: Less than adequate remuneration for land and electricity

II. New Subsidy Programs

- Program No. 24: Commercialisation of Research and Development Fund (CRDF- 1/2/3)
 Program No. 25: InnoFund (Enterprise Innovation Fund and Community Innovation Fund)
 Program No. 26: Cradle Investment Programme (CIP Spark / Sprint)
 Program No. 27: Domestic Investment Strategic Fund (DISF)
 Program No. 28: NCER Talent Enhancement Programme (NTEP)
 Program No. 29: Business Accelerator Programme (BAP 3.0)
 Program No. 30: Bumiputera Enterprise Enhancement Programme (BEEP)
 Program No. 31: SMEs Export Enhancement Programme (GEB & SMEGG)
 Program No. 32: Domestic Investment Accelerator Fund (DIAF for ESG Adoption)
 Program No. 33: Foreign Investment Accelerator Fund (FIAF)
 Program No. 34: Smart Automation Grant (SAG) MADANI
 Program No. 35: Industry4WRD Intervention Fund
 Program No. 36: Malaysia Co-Investment Fund (MyCIF)
 Program No. 37: Digital Financing Initiative (PMKS Digital Financing)
 Program No. 38: SME Revitalisation Financing (SMERF)
 Program No. 39: Low Carbon Transition Facility (LCTF)
 Program No. 40: SME Automation & Digitalisation Facility (ADF)
 Program No. 41: All Economic Sectors Facility (AES)
 Program No. 42: Business Recapitalisation Facility (BRF)
 Program No. 43: Future Ready Financing
 Program No. 44: Soft Financing Scheme for Automation & Modernisation (SFSAM)
 Program No. 45: SME Transformation Financing (SMETF)
 Program No. 46: Soft Financing for Services Capacity Development (SFSCD)
 Program No. 47: Soft Financing Scheme for Digital & Technology (SFDT)
 Program No. 48: Sustainable Green Biz Financing (SGBF)
 Program No. 49: Second Chance Financing (2CF)
 Program No. 50: MADANI Development Scheme
 Program No. 51: Industry Digitalisation Transformation Scheme (IDTS)
 Program No. 52: Sustainable Development Financing Scheme (SDFS)
 Program No. 53: High Tech & Green Facility (HTG)
 Program No. 54: Disaster Relief Facility (DRF)
 Program No. 55: Incentives for Small & Medium Enterprises (SMEs)
 Program No. 56: Tax Incentives for In-House R&D
 Program No. 57: Double Deduction for R&D
 Program No. 58: Sales Tax Exemption on Raw/Packaging Materials
 Program No. 59: Licensed Manufacturing Warehouse (LMW)
 Program No. 60: Double Deduction for Promotion of Malaysian Brand
 Program No. 61: Automation Capital Allowance (Automation CA)
 Program No. 62: International Procurement Centre (now Principal Hub Scheme)
 Program No. 63: Green Investment Tax Allowance (GITA) – Assets
 Program No. 64: Green Investment Tax Allowance (GITA) – Project for Business Purposes

16. The Designated Authority may investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers/ exporters of the subject goods in the subject countries, during the course of the investigation.

H. Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury and Causal Link

17. The applicants have submitted that there is likelihood of continuation/recurrence of subsidization and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-subsidy duty, considering increased subsidies availed by the largest producer of the subject goods in Malaysia, attractiveness of the Indian market, export orientation of producers/exporters of the subject goods in Malaysia and global dynamics such as the enhancement of the Section 232 duties by the United States on aluminium products and likely adverse impact of cessation of anti-subsidy duty on the performance of the domestic industry.

I. Initiation of the Sunset Review Investigation

18. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicants, substantiating likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry in the event of expiry of the countervailing duties, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of countervailing duty on imports of the subject goods from the subject countries and to examine whether the expiry of the existing countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidy and consequent injury to the domestic industry, in accordance with Section 9(6) of the Act, read with Rule 24 of the CVD Rules.

J. Submission of Information

19. All interested parties are required to register themselves on the SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and the corresponding case ID - CVD/SSR/07112025/01. It should be ensured that the narrative part of the submission is in a searchable PDF/MS Word format, and data files are in MS Excel format.
20. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limit set out below.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other parties.
23. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and the SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR to stay apprised of further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time.

K. Time Limit

24. Any communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and the corresponding case ID - CVD/SSR/07112025/01. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of issuance of the notice as per Rule 7(4) of the CVD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the CVD Rules, 1995.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
26. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned above in this Initiation Notification.
27. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from

the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 7(4) of the CVD Rules.

28. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

L. Submission of information on a confidential basis.

29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
30. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
31. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
32. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
33. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
36. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. Inspection of public file.

38. All non-confidential versions of submissions made by any interested parties will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. Non-cooperation.

39. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority